



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratma Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार मो0 –

सं0 सी0एस0एफ0/6-70/कृ/2019/

दिनांक :

निविदा सह-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में पापलर के 949 (From 80 Cm Girth to above), शीशम के 358 (From 120 Cm Girth to above) व पहाड़ी नीम 607 (From 90 Cm Girth to above), खड़े पेड़ों तथा लगभग 200 किंवटल जलाऊ लकड़ी को विभिन्न लॉटों में निविदा-सह-नीलामी नियम के अनुसार विक्रय करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं ।

निविदा मूल्य प्रस्ताव (Tender Offer) पेड़ों के लिये प्रति लॉट की दर से व लकड़ी के लिये प्रति किंवटल दर से भरने होंगे । निविदाएं दिनांक 15-02-2019 शुक्रवार को 2.30 बजे तक स्वीकार की जाएगी जो कि उसी दिन सायं 3.00 बजे अथवा खुली बोली नीलामी प्रक्रिया के पश्चात खोली जाएंगी । उपरोक्त तिथि को उचित निविदाएं प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 22-02-2019, 01-03-2019 व 08-03-2019 को दोबारा निविदाएं ली जायेगी । इच्छुक योग्य क्रेता निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित है ।

खड़े पेड़ों व जलाऊ लकड़ी का विवरण विक्रय के नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र टैंडर फार्म किसी भी कार्य दिवस में रुपये 236/-(200/-+ GST Rs. 36/-) देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र विभागीय वैबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु. 236/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंक ट्रान्सफर रसीद लगाकर जमा करना होगा । प्रत्येक लॉट पेड़ व लकड़ी के ठेके के लिए निश्चित धरोहर राशि पहले लाट के लिये रुपये 20,000/- व पहले लाट के साथ अन्य प्रति लोट के लिये रुपये 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो फार्म में जमा कराना होगा । नीलामी की खुली बोली में भाग लेने के लिए नीलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रान्सफर रसीद, फार्म पर नियम व शर्तों के अनुसार पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करना होगा । निविदा/नीलामी के समय पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते उप महा प्रबंधक (फार्म)

वितरण

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

फार्म में विभिन्न चकों पर खड़े पापलर, शीशम व पहाड़ी नीम के पेड़ों को तथा जलाऊ लकड़ी बेचने के लिए निविदा-सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में खड़े पापलर, शीशम व पहाड़ी नीम के वृक्षों व जलाऊ लकड़ी के विक्रय हेतु निविदा/नीलामी सूचना उपर दी गई तिथि के अनुसार निश्चित लाट संख्या में खड़े पापलर व शीशम के वृक्षों तथा जलाऊ लकड़ी को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है। जलाऊ लकड़ी की नियम व शर्तें अलग से देखी जा सकती है।
2. विक्रय किए जाने वाले वृक्षों व जलाऊ लकड़ी की बिक्री निविदा या नीलामी अथवा निविदा सह नीलामी द्वारा “जैसा है जहाँ है” के आधार पर की जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों की बिक्री के नियम एवं शर्तें निविदा/बोलीदाता भलीभांति जान-समझ ले तथा उसे स्वीकार कर हस्ताक्षर करें।
3. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा/बोलीदाता द्वारा वृक्षों की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भांति जांच परख लेवे। वृक्षों की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
4. टैंडर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली दाता/ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज (सांझेदारों से संबंधित हो) पेश करे। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टैंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न/नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोलीदाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।
6. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय/फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा/नीलामी के कार्य के अयोग्य हो, ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 38 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।

7. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टैंडर में भाग लेने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तों की स्वीकृति में उस पर पूरे हस्ताक्षर कर, डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो/एकाउंट न० 33957537351 (SBI) स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा New Grain Market, Hisar आईएफसी कोड IFSC Code No. SBIN0005700 में जमा करनी होगी । वृक्षों की बोली लाट के हिसाब से अलग-अलग की जायेगी प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी ।

- ए. प्रथम/ पहले लाट हेतु धरोहर राशि : ₹0 20,000/-
बी. प्रथम लाट के साथ अन्य प्रति लाट हेतु धरोहर राशि: ₹0 10,000/-
8. धरोहर राशि के लिए चेक या लिफाफे में रखी गई नकद राशि मान्य नहीं होगी । साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकता है । असफल निविदा/बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद दो कार्य दिवस में चेक द्वारा अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अदा कर दी जायेगी ।
9. निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
10. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी । निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार का निविदा, फैंक्स व पत्र/ईमेल/अनुशंषा/अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा ।
11. सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि के 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 03 दिवस में जमा करनी होगी ।
12. सफल निविदादाता/बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय अथवा अधिकतम 03 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी । बकाया राशि/राशियों को जमा करने में विलम्ब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर जमा करनी होगी ।
13. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25: राशि जमा करने हेतु समान्यतः कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । यदि शेष 75% संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर ही जमा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई राशि में से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जाएगी । इस स्थिति में ठेका स्वतः रद्द हो जाएगा जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा । इस स्थिति में संबंधित वृक्षों के संबंधित लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा
14. क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा ।
15. वृक्षों के पातन-कटाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा । ज्यों ही वृक्षों की कटाई का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा । वृक्षों की कटाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्नलिखित दर से भूमि कर (Ground

Rent) चुका कर शेष पेड़ काटने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:

- i) प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रु0 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से
 - ii) द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस रु010/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से
16. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्षों के लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा में शर्त संख्या 38 के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।
 17. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष लॉट को एक ओर से काटना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा ।
 18. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई करेगा । यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी क्रेता से वसूल करने का अधिकारी होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा । यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें तथा शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है ।
 19. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान में रखते हुए यदि वृक्षों के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अधिकृत समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा ।
 20. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों के एवज में फार्म द्वारा आकंलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है ।
 21. ठेका समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष-अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा ।
 22. सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । इसकी अवहेलना करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा ।
 23. विक्रय किये गये वृक्षों को काट कर लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जायेंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी । फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दें तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे ।

24. खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट/वृक्ष संख्या के अनुसार होगी ।
25. पेड़ों की लकड़ी ले जाने के लिये ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिये परिवहन आदि का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे पर करना होगा ।
26. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदा दाता की शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा । यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

ठेकेदार/केता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड इंडमनिटी बाण्ड इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के अनदेखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।

27. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष काटते हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा ।
28. वृक्षों की निविदा-नीलामी/बिक्री “जैसा है जहाँ है” आधार पर की जाएगी। बिक्री किए गये पेड़ों को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आंधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा ।
29. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता को फार्म में अवांछित असम्बंधित गतिविधियां, फार्म कार्यकलापों में रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने अथवा फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा । इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना/कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी । किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा । उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी ।

30. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं० 38 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट कर निगम के फार्मों/क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे । विवाद, झगड़ा मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।
31. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे ।
32. ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य/कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे ।
33. इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं सवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (TP) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।
34. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा ।
35. पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा ।
36. वृक्षों को जड़ सहित काटना होगा । जड़ एवं लकड़ी ले जानी होगी । जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा । (आवश्यकता/प्रावधान अनुसार) ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20 प्रतिशत के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी ।
37. पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए । पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए ।
38. इस निविदा - नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार, उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों की फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्राविधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म में जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले ।
39. वृक्षों/लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा । साधारणतः यह अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी । कटे वृक्ष फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा ।
40. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा । इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ।

41. इस सौदे के लिए रु0 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ों का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तों पर करार (Agreement) तथा रु. 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 26 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा। उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 07 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे।
42. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद न सुलझने की स्थिति में, इस करार से संबंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Condiliation Act, 1996) के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Indemnity Bond) के द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे।
- घोषणा:-** मैंने फार्म में खड़े पेड़ों/वृक्षों को खरीदने हेतु निविदा-सह-नीलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई है तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग/भाग मानी जायेगी।

आरबीट्रेशन

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा तइपजतंजपवद - ब्वदबपसपंजपवद तबज 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन ; तइपजतंजपवदद्व की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन ; तइपजतंजपवदद्व के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाचन ; तइपजतंजपवदद्व का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा।

प्रबंधक (उत्पादन)

स्थान: हिसार

दिनांक

मैंने उपरोक्त फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm
10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

निविदा प्रपत्र (Tender Form)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक _____ दिनांक _____

सेवा में,

उप महाप्रबंधक फार्म,
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

निविदा खोलने की तिथि दिनांक _____ सायं 2.30 बजे

विषय : राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म, हिसार के अधिकार में खड़े 80 सेंटीमीटर से ऊपर गर्थ के निम्नलिखित पापलर व 120 सेंटीमीटर से ऊपर गर्थ के शीशम के पेड़ों व जलाऊ लकड़ी के विभिन्न लॉट के अंतर्गत “जैसा है जहाँ है” के आधार पर बेचने हेतु निविदा प्रपत्र ।

1. निविदा दाता का नाम: _____
2. पिता/पति का नाम: _____
3. पूरा पता _____

4. दूरभाष नंबर/मोबाइल नं _____
_____ पैन नं _____ (स्वयं

सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

5. पहचान पत्र नं (वोटर आइ.डी., आधार कार्ड आदि) (स्वयं
सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

6. निविदा शुल्क रु० 236/- डिमाण्ड ड्राफ्ट स.

_____ दिनांक _____ जारी कर्ता बैंक
_____ शाखा _____ (ड्राफ्ट संलग्न)

निविदा राशि प्रस्ताव टैंडर ऑफर : राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म, हिसार के अधिकार में विभिन्न चकों में खड़े पापलर (from 80 CM to above Girth), शीशम (From 120 Cm to above girth) पहाड़ी नीम (from 90 CM to above Girth) के पेड़ों को व जलाऊ लकड़ी खरीदने हेतु लॉट के अनुसार निविदा मूल्य प्रस्ताव निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है ।

लॉट नं०	पापलर के खड़े पेड़ों का विवरण (from 80 CM to above Girth)	खड़े पेड़ों की संख्या	निविदा मूल्य (Tender offer) प्रति लॉट (रूपया अंको व शब्दों में)
01	नर्सरी - बाग	152	
02	नर्सरी - बाग	151	
03	चक 78/80000RD	186	
04	चक 78/80000RD	186	
06	चक 21000RD	59	
07	चक 23000RD -- 82 86000RDL-- 17	99	
08	चक 38000RD/नर्सरी	116	
लॉट नं०	शीशम के खड़े पेड़ों का विवरण (From 120Cm to above girth)		
09	नर्सरी - बाग	37	
10	चक 78/80000RD	70	
11	चक 75000RD	83	
12	चक 21000 RD	54	
13	चक 23000RD -- 28 38000RD/नर्सरी 30	58	
14	चक 86000R -- 37 चक 86000L -- 19	56	
जलाऊ लकड़ी लगभग 200 किवंटल --दर प्रति किवंटल			
15	खण्ड न० 1 खैरवां	200.00	
लॉट नं०	पहाड़ी नीम के खड़े पेड़ों का विवरण (from 90 CM to above Girth)		निविदा मूल्य (Tender offer) प्रति लॉट (रूपया अंको व शब्दों में)
20	चक 13000RD	79	
21	चक 17000RD	246	
22	चक 23000RD	282	

नोट तीनों खण्डों पर जितनी लकड़ी पड़ी है (कम या ज्यादा) वह सारी उठानी होगी ।

धरोहर राशि का विवरण:- निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली धरोहर राशि का विवरण:

लॉट नं०	बैंक ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर का विवरण एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक एवं शाखा का पता/ एकाउंट न. आईएफसी कोड आदि	धरोहर राशि (रु.)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक ट्रांसफर रसीद संलग्न किये जाये)

सत्यापन एवं घोषणा: यह सत्यापित किया जाता है कि:

1. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा/बोली दाता ने वृक्षों की संख्या, गिर्थ विवरण, वृक्ष लकड़ी की गुणवत्ता तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भांति जांच परख लिया गया है तथा विवरण हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है ।
2. इस निविदा-नीलामी के अंतर्गत वृक्षों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।
3. यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली हैं । मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं ।
4. निविदा पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों/अंकों में भरी होनी चाहिए, प्रत्येक त्रुटि सुधार पर पूरे हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं । अपठनीय, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. निविदा, संलग्न प्रपत्रों तथा विक्रय शर्तों की प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण सहमति के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है । निविदा प्रस्तुत है ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम _____

पूरा पता _____

संलग्न दस्तावेज :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Lot wise and Girth-wise detail of Poplar, Shisham, Allenthis and F.Wood

Kind of Trees	Lot No.	Chak No.	Girth in CM	No.of Trees
POPLAR	01	Hort.	80-89	41
			90-99	28
			100-109	22
			110-119	14
			120-129	12
			130-above	35
			Total	152
	02	Hort.	80-89	41
			90-99	29
			100-109	22
			110-119	13
			120-129	12
			130-above	34
			Total	151
	03	78/80000RD	80-89	25
			90-99	26
			100-109	30
110-119			31	
120-129			34	
130-above			40	
Total			186	
04	78/80000RD	80-89	26	
		90-99	24	
		100-109	26	
		110-119	33	
		120-129	36	
		130-above	41	
		Total	186	
06	21000RD	80-89	3	
		90-99	1	
		100-109	5	
		110-119	7	
		120-129	18	
		130-above	25	
		Total	59	
07	23000RD	80-89	5	
		90-99	10	
		100-109	11	
		110-119	24	
		120-129	9	
		130-above	23	
		Total	82	
	86000L	80-89	3	
		90-99	1	
		100-109	1	
		110-119	2	
		120-129	2	
		130-above	8	
		Total	17	

			G.Total	99
	08	38/Nursery	80-89	10
			90-99	16
			100-109	31
			110-119	17
			120-129	11
			130-above	31
			Total	116
		Grand Total	Poplar	949
Kind of Trees	Lot No.	Chak No.	Girth in CM	No.of Trees
SHISHAM	09	Hort.	120-149	23
			150-179	12
			180-209	2
			Total	37
	10	78/80000RD	120-149	62
			150-179	5
			180-209	3
			Total	70
	11	75000RD	120-149	46
			150-179	21
			180-209	10
			210-above	6
			Total	83
	12	21000RD	120-149	27
			150-179	12
			180-209	8
			210-above	7
			Total	54
	13	23000RD	120-149	19
			150-179	8
			180-209	1
			Total	28
		38/Nursery	120-149	11
			150-179	8
			180-209	8
			210-above	3
			Total	30
			G. Total	58
	14	86000RDR	120-149	25
			150-179	10
			180-209	1
			210-above	1
			Total	37
		86000RDL	120-149	12
			150-179	4
			180-209	2
			210-above	1
			Total	19
			G. Total	56
		Grand Total	Shisham	358

...3...

Kind of Trees	Lot No.	Chak No.	Girth in CM	No.of Trees
Allenthis	20	13000RD	90-119	69
			120-149	7
			150-189	3
			Total	79
	21	17000RD	90-119	202
			120-149	43
			150-179	01
			Total	246
	22	23000RD	90-119	235
			120-149	43
			150-179	4
			Total	282
			G. Total	607
जलाऊ लकड़ी	15	खण्ड न० 1 खैरवां	लगभग 200.00 किवंटल	